



मूल वाद में डेकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

राजस्व केम्प कोर्ट महुआकला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोत (आरएएस)

उनवान

1.श्री बालमुकुन्द पुत्र रामचन्द्र दरोगा, निवासी-माणिक्यनगर, माली खेड़ा, भीलवाड़ा

बनाम

- 1.श्री शंकर लाल पुत्र रामचन्द्र दरोगा, निवासी-महुआकला (बड़ा महुआ) तहसील व जिला-भीलवाड़ा
- 2.मु० दुर्गा पत्नि मदन दरोगा, निवासी-महुआकला (बड़ा महुआ) तहसील व जिला-भीलवाड़ा।
- 3.श्री नारायण पुत्र मदन दरोगा जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता मु० दुर्गा पत्नि मदन दरोगा, निवासी-महुआकला (बड़ा महुआ) तहसील व जिला-भीलवाड़ा।
- 4.श्री बट्टी पुत्र मदन दरोगा, जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता मु० दुर्गा पत्नि मदन दरोगा, निवासी-महुआकला (बड़ा महुआ) तहसील व जिला-भीलवाड़ा।
- 5.श्री महावीर पुत्र बालू दरोगा, निवासी-महुआकला (बड़ा महुआ) तहसील व जिला-भीलवाड़ा।
- 6.श्री पप्पू पुत्र बालू नाबालिंग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता प्रेमदेवी पत्नि बालू दरोगा, निवासी-महुआकला (बड़ा महुआ) तहसील व जिला-भीलवाड़ा।
- 7.श्रीमती लीला पुत्री बालू दरोगा पत्नि दिनेश दरोगा, निवासी-महुआकला (बड़ा महुआ) तहसील व जिला-भीलवाड़ा।
- 8.मु० प्रेम देवी पत्नि बालू दरोगा, निवासी-महुआकला (बड़ा महुआ) तहसील व जिला-भीलवाड़ा।
- 9.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

दावा बाबत:-घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती आदेश 07 नियम 01 जा.दी.

प्रकरण संख्या 88/2015

निर्णय दिनांक 30-5-2017

वादी की ओर से अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 30-5-2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है।

राजीनामा दिनांक 30.05.2017 के आधार पर ग्राम महुआकला की आराजी नं. 928, 930 किता 2 कुल रकबा 5-00बीघा भूमि वादी के नाम प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 08 तक का नाम हटाकर श्री बालमुकुन्द पुत्र रामचन्द्र दरोगा निवासी-माणिक्य नगर, मालीखेड़ा, भीलवाड़ा के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

आज दिनांक 30-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा